न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 108/2021 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2011/124**
दायर दिनांक :– 13.12.2021 **निर्णय दिनांक :– 02.12.2024**

1. तेजसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
2. भोमसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
3. ईश्वरसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभूसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है प्रार्थीगण के वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टाया साबित है, और प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। ग्राम खेतूसर में खेत खसरा नम्बर 92/2 रकबा 42–00 बीघा, खसरा नम्बर 102/2 रकबा 10–04 बीघा कुल रकबा 52–04 बीघा, ग्राम बारू में खसरा नम्बर 656/1 रकबा 55–00 बीघा, ग्राम सुमराणी मगलियों की बस्ती खेत खसरा नम्बर 4 रकबा 6–07 बीघा, खसरा नम्बर 6 रकबा 22–11 बीघा, खसरा नम्बर 171 रकबा 6–09 बीघा कुल रकबा 35–07 बीघा, ग्राम कमरदीन की बस्ती खसरा नम्बर 101 रकबा 6–18 बीघा, खसरा नम्बर 108 रकबा 7–12 बीघा कुल रकबा 14–10 बीघा, ग्राम धोलिया खसरा नम्बर 715 रकबा 16–05 बीघा प्रार्थीगण और अप्रार्थी तथा प्रार्थीगण के भाई अनोपसिंह व माता पदमकंवर की और ग्राम धोलिया तहसील बाप के खसरा नम्बर 691 रकबा 71–09 बीघा प्रार्थीगण एव अप्रार्थी तथा प्रार्थीगण के भाई अनोपसिंह व माता एवं अन्य सह काश्तकारान के खातेदारी अधिकारों की कदिमी पीढी दर पीढी पैतृक सह काश्तकारी की भूमि स्थित है। ग्राम खेतूसर की चालू जमाबंदी 2073–2076, ग्राम बारू की चालू जमाबंदी सम्वत 2070–2073, ग्राम सुमराणी मंगलियों की बस्ती की चालू जमाबंदी सम्वत 2071–2074, ग्राम कमरदीन की बस्ती की चालू जमाबंदी सम्वत 2071–2074 और ग्राम धोलिया की चालू जमाबंदी सम्वत 2070–2073 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। अप्रार्थी सह

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

हिस्सेदारी की काश्त भूमि को लेकर विवाद पैदा कर झगड़ा फसाद करने और बेदखल करने पर आमादा है, अगर अप्रार्थी अपने नापाक मंसूबों में सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण के जायज खातेदारी हकूको पर कुठाराघात होगा और प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थीगण दावेदार है और अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता राजेन्दसिंह सोलंकी ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में किया जाना है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

02.12.24

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)